अध्याय - III

विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बन्धित अनुपालना लेखापरीक्षा टिप्पणियां

अध्याय-III

विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बन्धित अनुपालना लेखापरीक्षा टिप्पणियां

ब्यास घाटी विद्युत निगम लिमिटेड

3.1 अंतर लागत का अतिरिक्त भुगतान

कम्पनी के खुले बाजार से उपार्जित बजरी एवं रेत की अंतर लागत को निकालते समय खदान स्थल पर बजरी एवं रेत की विश्लेषित लागत में रॉयल्टी प्रभारों को शामिल करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप ₹75.02 लाख की अंतर लागत का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

ब्यास घाटी विद्युत निगम लिमिटेड (कम्पनी) ने ऊहल-III जल विद्युत परियोजना की हैड रेस टनल के निर्माण के शेष कार्य के सम्पूर्ण कार्य पैकेज को ₹55.39 करोड़ की लागत में मैसर्ज अबीर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (ठेकेदार) को सौंपा (अक्तूबर 2010)। संविदा अनुबन्ध[1] की सेवा-शर्तों के अनुसार हैड रेस टनल के निर्माण हेतु ठेकेदार द्वारा खरीद की गई सभी सामग्री पर रॉयल्टी सहित समस्त करों का भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जाना था तथा इस सम्बन्ध में किसी भी स्थिति में कम्पनी द्वारा किसी भी क्षतिपूर्ति दावे को मंजूर नहीं किया जाना था। ठेकेदार द्वारा उद्धृत दरों में सभी करों, शुल्कों, उद्ग्रहणों तथा उन पर हुई किसी भी वृद्धि को भी शामिल समझा जाना था। इसके अतिरिक्त संविदा अनुबन्ध में यह भी प्रावधान[2] था कि कार्य में ठेकेदार द्वारा उपयोग की जाने वाली किसी भी सामग्री के सम्बन्ध में किसी कानून, नियम, अधिसूचना अथवा आदेशों के अनुसार कम्पनी द्वारा राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारियों को रॉयल्टी की राशि का भुगतान किया गया हो तो कम्पनी द्वारा भुगतान की गई राशि को ठेकेदार को देय राशि में से वसूल किया जाएगा।

माननीय उच्च न्यायालय, शिमला द्वारा लागू प्रतिबंधों के कारण ठेकेदार बजरी एवं रेत के उत्पादनार्थ आबंटित दो[3] खदानों को चालू नहीं कर सका तथा अंततः रेत एवं बजरी को खुले बाजार से उपार्जित करना पड़ा। कम्पनी (निदेशक बोर्ड) ने निर्णय लिया (दिसम्बर 2012) कि ठेकेदार द्वारा खुले बाजार से खरीदी गई बजरी एवं रेत की अतिरिक्त/अंतर लागत की प्रतिपूर्ति रेल पर मुफ्त के आधार पर की जाए जिसमें रॉयल्टी प्रभार शामिल थे। बजरी एवं रेत की अंतर लागत को निकालने हेतु कम्पनी ने खदान स्थल से बजरी की लागत का विश्लेषण किया तथा खुले बाजार की उपार्जित मात्रा के लिए अंतर लागत की प्रतिपूर्ति की।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि (दिसम्बर 2017) कम्पनी का ऊहल निर्माण मण्डल-I अंतर लागत को निकालने हेतु खदान स्थल पर बजरी एवं रेत की लागत का विश्लेषण करते समय रॉयल्टी प्रभारों को शामिल करने में विफल रहा जिनका भुगतान खदान से निकाले गए रेत एवं बजरी की मात्रा पर ठेकेदार द्वारा राज्य सरकार को किया जाना था। अतः खदान स्थल पर दरों के गलत विश्लेषण के परिणामस्वरूप 1,04,546 मीट्रिक टन बजरी एवं रेत पर जनवरी 2013 एवं दिसम्बर, 2017 के मध्य अंतर लागत के ₹75.02 लाख का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

सरकार ने बताया (अक्तूबर 2018) कि राशि ठेकेदार के व्यक्तिगत बही खाते में रखी गई है तथा ठेकेदार को भुगतान किए जाने वाले अंतिम बिलों/अन्य देय दावों से वसूली की जाएगी।

यह बिन्दु नमूना-जांच पर आधारित है, प्रबन्धन को चूक हेतु जिम्मेदारी निर्धारित करने तथा भविष्य में ऐसी चूकों से बचने हेतु इसकी दर विश्लेषण प्रणाली को सुव्यवस्थित करने हेतु विचार करना चाहिए एवं कम्पनी के अन्य सभी मिलते-जुलते मामलों की संवीक्षा करनी चाहिए।

---

1 खण्ड 35 (i)

2 खण्ड 35 (ii)

3 एक बल्ह में स्थित तथा दूसरा चूल्हा एवं कोठी में स्थित

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड

3.2 उपभोक्ताओं को अनुचित लाभ

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग के अप्रैल 2013 में जारी टैरिफ आदेशों में निर्धारित सीमा के अनुसार तीन उपभोक्ताओं से संविदा मांग प्रभार लेने पर विफल रहने के फलस्वरूप अप्रैल 2013 से दिसम्बर 2018 तक की अवधि के दौरान ₹1.97 करोड़ की संविदा मांग की अल्प वसूली हुई। अल्प वसूली की निरंतरता के कारण इस हानि में और वृद्धि होगी जब तक कम्पनी द्वारा टैरिफ आदेशानुसार उपयुक्त कार्रवाई नहीं की जाती।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेशों (अप्रैल 2013) में निर्दिष्ट है कि जिन उपभोक्ताओं पर द्विभाग टैरिफ[4] लागू होंगे वे कुल संस्वीकृत संविदा मांग के पूर्वाधिकार अभ्यर्पित किए बिना वित्तीय वर्ष में दो बार संविदा मांग को संशोधित करने के हकदार होंगे। बशर्ते (क) संविदा मांग को कुल संस्वीकृत संविदा मांग के 50 *प्रतिशत* से कम नहीं किया जाएगा (ख) उक्त (क) के अन्तर्गत प्रावधान 1 जुलाई 2013 से उन मामलों में लागू होंगे जिनमें किसी उपभोक्ता ने अपनी संविदा मांग विद्यमान तंत्र के अन्तर्गत कुल संविदा मांग के 50 *प्रतिशत* से कम की हो। ऐसे मामलों में वित्तीय वर्ष में संशोधन की संख्या के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष को प्रथम जुलाई 2013 से समझा जाएगा। इसी बीच हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (कम्पनी) तथा उपभोक्ता अंतरिम अवधि के दौरान उपयुक्त कार्रवाई करेंगे। इसके अतिरिक्त यदि उपभोक्ता ने स्थाई रूप से कम संविदा मांग प्राप्त की है तो ऐसी कम की गई संविदा मांग सीमा खण्ड (क) एवं (ख) के अन्तर्गत समझी जाएगी।

तीन[5] उपभोक्ताओं के चार विद्युत कनैक्शनों के अभिलेखों की संवीक्षा में देखा गया (अगस्त 2016) कि उपभोक्ताओं ने हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का उपर्युक्त आदेश लागू होने के पूर्व उनकी संविदा-मांग को कम्पनी के पूर्व अनुमोदन से मूल संस्वीकृत संविदा-मांग की 50 *प्रतिशत* से बहुत कम सीमा तक घटा दिया था। तथापि, संस्वीकृत संविदा मांग को 50 *प्रतिशत* की न्यूनतम निर्धारित सीमा तक लाने के उद्देश्य से संशोधित टैरिफ आदेश (अप्रैल 2013) के अन्तर्गत अपेक्षित संविदा मांग में वृद्धि हेतु न तो कम्पनी ने बल दिया और न ही उपभोक्ता ने आवेदन किया तथा कम्पनी ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग के आदेशों के विपरीत इन उपभोक्ताओं से कम संविदा के मांग आधार पर (संविदा मांग के 90 *प्रतिशत* टैरिफ के प्रावधानानुसार अथवा अभिलिखित मांग जो भी अधिक हो) मांग प्रभारों का उद्ग्रहण करना जारी रखा। इस प्रकार मूल संस्वीकृत संविदा मांग के 50 *प्रतिशत* के मांग प्रभारों के उद्ग्रहण तथा वसूल करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप अप्रैल 2013 से दिसम्बर 2018 के दौरान कम्पनी को ₹1.97 करोड़ के राजस्व की हानि हुई जैसा कि ***परिशिष्ट 3.1*** में वर्णित है। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग के अप्रैल 2013 के आदेश के परिपेक्ष्य में उपभोक्ता मामलों की समीक्षा न करने के कारण मांग प्रभारों का अनुद्ग्रहण/गैर वसूली हुई। इसके अतिरिक्त, कोई भी सुधारात्मक कार्रवाई न करने के कारण कम्पनी अभी तक (सितम्बर 2019) घाटे में चल रही है।

सरकार ने कहा (फरवरी 2019) कि दो उपभोक्ताओं ने उनकी संविदा-मांग उनकी आवश्यकतानुसार घटाई थी तथा तीसरे उपभोक्ता से वसूली कर ली गई है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपभोक्ताओं ने अप्रैल 2013 के पूर्व अस्थायी तौर पर उनकी संविदा-मांग अधिग्रहण त्यागे बिना घटाई थी तथा वसूली एक उपभोक्ता से ही की गई जबकि अन्य दो उपभोक्ताओं से धन

[4] संविदा मांग पर आधारित निश्चित प्रभार तथा विद्युत के उपयोग पर आधारित परिवर्तनीय प्रभार द्विभाग टैरिफ में सम्मिलित है।

[5] इन्दिरा गांधी आर्युविज्ञान महाविद्यालय शिमला (दो मीटर) मशोबरा रिजोंट लिमिटिड एंव होटल पीटर हाफ शिमला प्रत्येक एक मीटर ।

की वसूली नही की गई जो कम्पनी की मनमानी का परिचायक है। जहां पर अंतरिम अवधि (अप्रैल 2013 से जून 2013) के दौरान संविदा मांग संस्वीकृत संविदा मांग के *50 प्रतिशत* से कम थी वहां कम्पनी एवं उपभोक्ताओं के लिए उपयुक्त कार्रवाई करना अपेक्षित था। इसके अतिरिक्त, मुख्य अभियंता (वाणिज्य) ने स्पष्ट किया (अगस्त 2015) कि संविदा मांग की स्थाई कमी हेतु उपभोक्ता को इस आशय की सहमति प्रस्तुत करनी थी जोकि उपर्युक्त उल्लेखित मामलों में उपभोक्ताओं द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई थी।

बिन्दु नमूना-जांच पर आधारित है, प्रबंधन को भविष्य में राजस्व की हानि को रोकने हेतु यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बिलों को प्रभावित करने वाले टैरिफ आदेश में किसी प्रकार के परिवर्तन के बाद सभी उपभोक्ता मामलों की समीक्षा की जानी चाहिए तथा कम्पनी के ऐसे अन्य सभी मामलों की जांच की जाए।

3.3 दस्तावेजी प्रमाणों के बिना आबकारी शुल्क का भुगतान

संविदा अनुबंध की सेवा शर्तों के अनुसार दस्तावेज प्रमाण के अभाव में ठेकेदार के बिल से आबकारी शुल्क के घटक की कटौती करने में विफलता के परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹42.77 लाख के आबकारी शुल्क का अधिक भुगतान।

जून 2003 में भारत सरकार की अधिसूचना तथा अनुवर्ती संशोधनों के अनुसार हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखण्ड में मार्च 2010 तक स्थापित औद्योगिक इकाइयों को आबकारी शुल्क से छूट प्राप्त थी।

बद्दी शहर में 11 केवी एचटी/एलटी लाईन का ढांचा, विनिर्माण, उपकरण/सामग्री की आपूर्ति, परिनिर्माण, परीक्षण एवं चालू करने, पुनः संचालन/विद्यमान संवितरण ट्रांसफार्मरों में अपवर्धन/ एकल एवं तीन फेज ऊर्जा मीटरों को उपलब्ध करवाने का कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (कम्पनी) द्वारा मई 2012 के दौरान ₹26.97 करोड़ में (आपूर्ति भाग) मैसर्ज श्याम इण्डस पॉवर साल्यूशन लिमिटेड (ठेकेदार) को दिया गया था। सामग्री की आपूर्ति दरों में सभी कर एवं शुल्क आदि शामिल थे। इसके अतिरिक्त, ठेकेदार के साथ निष्पादन संविदा अनुबंध की सेवा शर्तों के अनुसार आबकारी शुल्क जोकि कुल इकाई लागत में शामिल थी, का वास्तविक भुगतान केवल दस्तावेजी प्रमाण के आधार पर करना था। इसके अतिरिक्त, कम्पनी की लेखा नियमावली[6] में प्रावधान है कि खरीद आदेश/संविदा अनुबंध की सेवा-शर्तों के अनुसार बिल पास किया जाएगा।

लेखापरीक्षा में देखा गया (दिसम्बर 2016) कि ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं कम्पनी के अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षणों के अनुसार ठेकेदार ने हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखण्ड के विनिर्माताओं से प्राप्त मुख्य मदें जैसे स्टील टयूबलर पोल्स, आरसीसी मफ तथा सीटीपीटी यूनिट उपार्जित किए, जिन पर आबकारी शुल्क के भुगतान की छूट थी। ठेकेदार ने बिल प्रस्तुत करते समय प्रत्येक मद की लागत तथा इन पर लागू करों एवं शुल्कों का अलग ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया। इसके अतिरिक्त, दावों सहित प्रस्तुत विभिन्न बीजकों में देखा गया कि बीजकों पर विस्तृत अलग ब्यौरा या तो फल्यूड मार्क से छिपा दिया था या मिटाया गया था जिस कारण ठेकेदार द्वारा भुगतान किए गए किसी आबकारी शुल्क के ब्यौरे की पुष्टि नहीं की जा सकी। कम्पनी का बद्दी मण्डल, अनुबन्ध की सेवा शर्तों के अनुसार ठेकेदार से बिल पास करने से पूर्व आबकारी शुल्क के वास्तविक भुगतान के सम्बन्ध में प्रस्तुत दस्तावेजों को मांगने तथा कम्पनी का लेखा स्कन्ध ठेकेदार को भुगतान करते समय इसे ध्यान में रखने में विफल रहा तथा आबकारी शुल्क के दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने हेतु नहीं कहा। दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव में कम्पनी ने शासकीय प्राधिकारियों के पास आबकारी शुल्क जमा कराने के दस्तावेजी प्रमाण को

6 अनुदेश स0. 5.6 (4.02)

प्रस्तुत करने तक आबकारी शुल्क घटक को काटने के बजाए बिलों की सकल राशि को पास करके भुगतान किया। अप्रैल 2013 एवं नवम्बर 2016 के मध्य अवधि के दौरान, सरकारी प्राधिकारियों के पास आबकारी शुल्क को जमा किया गया इस दस्तावेजी प्रमाण को जमा करने का आग्रह किए बिना स्टील टयूब्यूलर पोल्ज आरसीसी मफ्स तथा सीटी/पीटी की आपूर्ति हेतु ठेकेदार को कम्पनी ने ₹42.77 लाख के आबकारी शुल्क का भुगतान किया जैसा कि नीचे वर्णित है:

तालिका 3.1: ठेकेदार को भुगतान की गई राशि का विवरण

विवरण	**आकार**	**संख्या में मात्रा**	**आबकारी शुल्क दर**	**राशि**
				(₹ में)
स्टील ट्यूब्यूलर पोल्ज	9 मीटर	1,595	685.29	10,93,037
	11 मीटर	1,899	1,061.51	20,15,807
	8 मीटर	357	493.91	1,76,325
आर सी सी मफ	1.8 मीटर	3,775	52.11	1,96,715
सीटीपीटी	10/5 एम्पीयर से 100/5 एम्पीयर	266	2,674.03	7,11,292
			जमा: *बिक्री कर @ 2 प्रतिशत*	83,863.52
			योग	**42,77,039.52**

भारत सरकार की उपर्युक्त अधिसूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश/उत्तराखण्ड में विनिर्मित मदों पर आबकारी शुल्क के भुगतान की छूट है तथा ठेकेदार ने भी चालानों पर करों एवं शुल्कों के विवरण को छिपाया। इसके अतिरिक्त अनुबंध की सेवा शर्तों के अनुसार केवल दस्तावेजी प्रमाण के प्रति आबकारी शुल्क का भुगतान वास्तविकता के आधार पर किया जाना था। अत: संविदा अनुबंध की सेवा-शर्तों के अनुसार दस्तावेजी प्रमाण के अभाव में ठेकेदार के बिल से आबकारी शुल्क घटक को काटने में विफल रहने के परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹42.77 लाख का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

मुख्य अभियन्ता (परिचालन) दक्षिण ने बताया (जुलाई 2017) कि मार्च 2017 एवं जून 2017 के मध्य ठेकेदार को आबकारी शुल्क की अदायगी हेतु दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किए गए है ऐसा करने में विफल रहने पर आबकारी शुल्क की ₹42.77 लाख की राशि की वसूली/कटौती कम्पनी के पास रोके गए धन से की जाएगी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ठेकेदार द्वारा आबकारी शुल्क के भुगतान के न तो कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत किए गए और न ही कोई वसूली की गई जबकि प्रथम नोटिस जारी करने के बाद दो वर्ष से अधिक समय बीत चुका था।

बिन्दु नमूना-जांच पर आधारित है, प्रबंधन को चूककर्ताओं के विरूद्ध चूक हेतु मौजूदा नियमानुसार उचित कार्यवाई करनी चाहिए तथा भविष्य में इस प्रकार की चूकों से बचने के लिए कम्पनी के ऐसे अन्य सभी मामलों की संवीक्षा के द्वारा वित्तीय संवीक्षा का सुव्यवस्थितिकरण करना चाहिए।

मामला सरकार/प्रबन्धन को सूचित किया था (जून 2018); उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (सितम्बर 2019)।

हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड

3.4 विद्युत खरीद अनुबंध हस्ताक्षरित न करने के कारण हानि

लम्बी अवधि अभिगम हेतु आवेदन करने के पूर्व विद्युत खरीद अनुबंधों को हस्ताक्षरित करने में, जो कि लम्बी अवधि अभिगम पर हस्ताक्षर हेतु पूर्वापेक्षित थे, कम्पनी की विफलता से, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा अनुमोदन निरस्त करने के पश्चात शुल्क एवं प्रतिभूति को जब्त करने के कारण ₹37.41 लाख की हानि हुई।

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने "अन्तर-राज्यीय संचरण व सम्बन्धित मामलों में कनेक्टिविटी अनुदान, लम्बी अवधि अभिगम, तथा मध्यावधि खुले (सार्वजनिक) अभिगम" पर अगस्त 2009 में विनियमन जारी किया। विनियमन में प्रावधान है[7] कि कुल खरीद के सटीक गंतव्य को बनाना होगा, जिसे विद्युत खरीद अनुबंध हस्ताक्षरित होने के बाद ही बनाया जाए तथा लम्बी अवधि अभिगम का लाभ उठाने की इच्छित तिथि से कम से कम तीन वर्ष पूर्व नोडल एजेन्सी को, जो इस मामले में पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड थी, सूचित करें। वहां जहां संचरण प्रणाली के संवर्धन की आवश्यकता नही थी वहां आवेदन की प्रक्रिया हेतु निर्धारित समय[8] 120 दिनों का था तथा जहां संचरण-प्रणाली के संवर्धन की आवश्यकता थी वहां 180 दिनों का था।

हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित (कम्पनी) ने विद्युत खरीद अनुबंध हस्ताक्षरित किए बिना इसकी तीन[9] आगामी जल विद्युत परियोजनाओं की कनेक्टिविटी तथा लम्बी अवधि अभिगम के लिए पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया के संचार नेटवर्क के लिए आवेदन (सितम्बर 2010) किया तथा पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया को ₹40.60 लाख की बैंक गारंटी सहित ₹16 लाख का निर्धारित शुल्क जमा किया। पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया ने लम्बी अवधि अभिगम अनुबंध पर हस्ताक्षर होने की स्थिति में मई 2011 के दौरान इसकी दो[10] जल विद्युत परियोजनाओं के लिए तथा दिसम्बर 2013 में एक अन्य[11] जल विद्युत परियोजना के लिए कनैक्टिविटी अनुमोदित की।

लेखापरीक्षा में पाया गया (मार्च 2017) कि कम्पनी ने लम्बी अवधि अभिगम हेतु आवेदन करने के पूर्व इसकी तीनों जल विद्युत परियोजनाओं हेतु विद्युत खरीद अनुबंधों को हस्ताक्षरित नही किया था यद्यपि जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है यह लम्बी अवधि अभिगम अनुबंध हस्ताक्षरित होने की पूर्वापेक्षा थी। विद्युत खरीद अनुबंध के अभाव में कम्पनी निर्धारित समय में पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के साथ लम्बी अवधि अभिगम पर हस्ताक्षर नहीं कर सकी। परिणामतः पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड ने काशंग के संचरण नेटवर्क की कनेक्टिविटी की मंजूरी को (मई 2016) तथा सैंज एवं सावड़ा-कुडडू की मंजूरी को (फरवरी 2017) निरस्त किया तथा 10 जनवरी 2017 को ₹21.10 लाख की बैंक गारंटी के नकदीकरण करने के अतिरिक्त ₹16.00 लाख का अप्रतिदेय शुल्क जब्त किया। बाद में कम्पनी ने हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग के निर्देशानुसार हिमाचल प्रदेश विद्युत संचरण निगम सीमित (राज्य संचरण उपक्रम) को कनैक्टिविटी के लिए आवेदन किया (2 सितम्बर 2011)। इस प्रकार लम्बी अवधि अभिगम हेतु आवेदन करने से पूर्व कम्पनी की

---

7 उप-विनियमन - 12 (I)

8 उप-विनियमन - 7

9 काशंग, सावड़ा-कुड्डू एवं सैंज

10 सावड़ा-कुड्डू एवं सैंज

11 काशंग

विद्युत खरीद अनुबन्धों को हस्ताक्षरित करने, जो कि लम्बी अवधि अभिगम पर हस्ताक्षर हेतु पूर्वापेक्षित थे, में विफलता के परिणामस्वरूप ₹37.41 लाख[12] की हानि हुई।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2018) कि विद्युत विनिमय/प्रतिस्पर्धात्मक निविदा के माध्यम से विद्युत की खरीद दीर्घकालिक विद्युत खरीद समझौतों की तुलना में सस्ती हो गई थी। तद्नुसार, सभी खरीददारों के साथ-साथ उपक्रमों ने विद्युत विनिमय के साथ ही प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से खरीद शुरू कर दी है। इसके अतिरिक्त 2015 के पश्चात् सौर ऊर्जा ने बाजार में ऊर्जा की उपलब्धता को बढ़ा दिया है तथा यह ऊर्जा भी उपक्रमों के लिए अनिवार्य है।

कम्पनी का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि कम्पनी को विद्युत खरीद अनुबंधों को हस्ताक्षरित किए बिना लम्बी अवधि अभिगम के हेतु आवेदन नहीं करना चाहिए था, जो कि लम्बी अवधि अभिगम को हस्ताक्षरित करने हेतु पूर्वापेक्षित था।

यह मामला नमूना-जांच पर आधारित है, प्रबन्धन को भविष्य में ऐसी चूक से बचने के लिए उचित कार्य योजना सुनिश्चित करनी चाहिए तथा कम्पनी के ऐसे अन्य सभी मामलों की जांच करनी चाहिए।

मामला सरकार को सूचित किया गया था (जून 2018); उनका उत्तर प्रतीक्षित (सितम्बर 2019) था।

[12] ₹16.00 लाख अप्रतिदेय शुल्क, ₹21.10 लाख की बैंक गारंटी तथा बैंक गारंटी को चुकाया गया ₹0.31 लाख का बैंक शुल्क।